विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

सत्यमेव जयते

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

Ph EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

सं. 16(2)/1/2013-एमएसएमई-नीति   30 मई, 2013

विषय: सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् को संदर्भित विलंबित भुगतान मामलों के संबंध में।

जैसा कि विदित है कि भुगतान में 45 दिनों से अधिक विलंब के मामले में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आपूर्तिकर्ता एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 से 24 के अनुसरण में विवादों के समाधान के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं।

2. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) में यह नियम है कि एमएसईएफसी को भेजे गए प्रत्येक संदर्भ पर, ऐसे संदर्भ भेजे जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेना होगा।

3. इस कार्यालय को ऐसे संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं जिनमें एमएसईएफसी द्वारा निर्णय/अधिनिर्णय/डिक्री देने में 90 दिनों से अधिक का विलंब हुआ है। कृपया, आपसे मामले का अवलोकन करते हुए विधान में निर्धारित समयसीमा के भीतर एमएसईएफसी को संदर्भित मामलों का तीव्र निपटान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

(पी.के. सिनहा)
निदेशक (नीति)

आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म एवं लघु उद्यम/मध्यम उद्यम
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
(सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)